न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 78/2017

1. अमरजीत कौर पुत्री गुरदित सिंह पत्नि जगदीश सिंह जाति मेहरा निवासी चक 1 वीं तहसील श्री करणपुर।
2. प्रकाश कौर पुत्री गुरदित सिंह पत्नि छिन्दा सिंह जाति मेहरा निवासी चक 28 एच तहसील श्री करणपुर। **--वादीगण--**

बनाम

1. रणजीत सिंह पुत्र गुरदित सिंह जाति मेहरा निवासी चक 28 एच तहसील श्री करणपुर।
2. गुरदीप सिंह पुत्र कश्मीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 28 एच तहसील श्री करणपुर।
3. राजवीर कौर पत्नि रूपिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 28 एच तहसील श्री करणपुर।
4. लवदीप सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 28 एच तहसील श्री करणपुर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।
6. उपपंजीयक एव ंनायब तहसीलदार राजस्व केसरीसिहपुर ।
7. राजस्व पटवारी चक 28 एच पटवार हलका 2 एक्स तहसील श्री करणपुर।

--प्रतिवादीगण--

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,53 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 16.03.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 28 एच की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 8/8 के मु.न. 19 के किला न. 7 ता 13 की कुल 1.721 हैक्टर नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड मे ंदर्ज है। उक्त भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की माता करतार कौर पत्नि गुरदित सिंह के नाम से 0.860 हैक्टर नहरी भूमि बतौर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण की माता करतार कौर पत्नि गुरदित सिंह का आज से 3 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका है। उसके हिस्सा की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उसी के नाम से दर्ज है। करतार कौर के 3 जायज वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ही है। इसके अलावा कोई वारिस नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का माता करतार कौर की भूमि में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा बनता है। वादीगण अपना हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहती है। आज से दस रोज पूर्व वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से मिले व उसे कहा कि माता करतार कौर का हिस्सा प्रत्येक के 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लेवे और वारिसनामा जारी करवाकर वारिसनामा के आधार पर विरास्तन नामान्तरण दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहा कि वह माता करतार कौर की भूमि में से वादीगण को कोई हिस्सा नहीं देगा व माता की तमाम भूमि को अपने नाम लगवा लेगा यही वाद कारण है। वादीगण कानूनन माता करतार कौर की भूमि में से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादीगण का भाई प्रतिवादी संख्या 1 माता का तमाम हिस्सा हडप करने की फिराक में है। वादीगण औरतजात है। इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर अपना हिस्सा अपने नाम से घोषित करवाने के अलावा वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। इसलिए वादीगण दावा पेश कर रहे है। उक्त आराजी राजस्थान सरकार में निहित हो चुकी है इसलिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को बतौर लैण्ड होल्डर दावा मे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस, पूर्ण क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे- चक 28 एच की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 8/8 में करतार कौर पत्नि गुरदित सिंह जाति मेहरा निवासी 28 एच के नाम से दर्ज 0.860 हैक्टर नहरी भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम उनके हिस्सा अनुसार भूमि दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2 बाद तामील उपस्थिति नही होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र रमाणा उपस्थिति आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया गया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी संख्या संख्या 2 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई 1500 रूपए की कोस्ट पर स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया। व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर जवाब स्टेट बन्द किया गया। वादीगण अमरजीत कौर व प्रकाश कौर की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में वादीगण का प्रतिवादीगण से घरू पंचायत ने राजीनामा करवा दिया है। इसलिए वादीगण उक्त मुकदमा को आगे नहीं चलाना चाहते है और इसी स्टेज पर प्रकरण नोटप्रेस करना चाहते है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर खाता विभाजन किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपना काउन्टर क्लेम नोट प्रेस किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा अपना वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना काउन्टर क्लेम नोटप्रेस किया हैं। अतः वाद पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। वादीगण के द्वारा दी गई सहमति से प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 28 एच के मु.न. 19 के किला न. 7 के 10 बिस्वा, किला न. 11 के 18 बिस्वा, किला न. 12 व 13 सालम-सालम कुल 3 बीघा 8 बिस्वा नहरी भूमि बैयनामा दिनांक 25.01.1994 की रूह से प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 को उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। स्टाम्प डयुटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.03.16 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: